प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'सैंतीस'

[28/7/2016]

प्रश्न सं. [क्र. 3446]

परिशिष्ट–1

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)
(MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS)
क्षेत्रीय कार्यालय / REGIONAL OFFICE
ई-2/167, अरेरा कॉलोनी, हबीबगंज स्टेशन के पास, भोपाल (म.प्र.) 462 016
E-2/167, Arera Colony, Near Habibganj Station, Bhopal (M.P.)-462 016

दूरभाष/Phone : 0755-2426638
फैक्स/Fax : 0755-2426698
ईमेल/E-mail : robhopal@nhai.org

भाराराप्रा/आर.ओ.–एम.पी./2016/वि.स./2487 दिनांक 14.07.2016

प्रति

मुख्य अभियंता
(रा.रा.) लोक निर्माण विभाग
भोपाल (म.प्र.)

विषयः रा.रा.क्र.–7 का फोरलेन कार्य (विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रं.–3446) द्वारा श्री दिनेश राय।
संदर्भः– आपका कार्यालयीन मेल दिनांक 08.07.2016.

महोदय,

संदर्भित मेल दिनांक 08.07.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से विषयांतर्गत विधानसभा प्रश्नक्र–3446 इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है।

उक्त के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के अंतर्गत आने वाली पक्रिइकाई–नरसिंहपुर से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है–

उक्त के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के अंतर्गत आने वाली पक्रिइकाई–नरसिंहपुर एवं जबलपुर से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या कंपनी एवं शासन की उदासीनता के कारण रा.राक्र–7 का फोरलेन का कार्य अधूरा पडा हुआ है? विलंब का कारण एवं दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?	पक्रिइकाई–नरसिंहपुर के अंतर्गत लखनादौन–सिवनी मार्ग पैकेज नं. एन.एस.–1/ बीओटी/एम.पी–2 कि.मी. 547.400 से कि.मी. 596.750 कुल लम्बाई 49.35 कि.मी. मे से 40.11 कि.मी. लम्बाई में कार्य पूर्ण है, एवं शेष 9.24 कि.मी. के इस भाग में वनभूमि होने के कारण फोरलेन मार्ग का कार्य नहीं किया जा सका है । वन एवं पर्यावरण मंत्रालय दिल्ली के पत्र क. 8–32/2006.ईसी दिनांक 20.12.2013 द्वारा वनभूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव की द्वितीय स्तरीय स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त वनभूमि के वृक्षों की कटाई का कार्य पूर्ण हो गया है। उक्त कार्य की निविदा की कार्यवाही का कार्य प्रगति पर है। सिवनी–खवासा मार्ग पैकेज नं. एन.एस.–1/बीओटी /एम.पी–3 कि.मी. 596.750 से कि.मी. 653.225 कुल लम्बाई 56.475 कि.मी. मे से 27.73 कि.मी. लम्बाई में कार्य पूर्ण है। शेष 28.745 कि.मी. मोहगांव से खवासा (पेंच अभ्यरण्य क्षेत्र) फोरलेन मार्ग के निर्माण हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली की 35 मीटिंग दिनांक 18.08.2015 के द्वारा शर्तों के आधार पर निमार्ण की सहमति प्रदान की गई है । दक्षिण वनमण्डल सिवनी की वनभूमि पेंच अभ्यरण्य में परिवर्तित होने के कारण पुनरीक्षित प्रस्ताव बनाने की प्रकिया एवं प्रस्ताव को

		आनलाइन करने की प्रक्रिया प्रारम्भ है। डीपीआर हेतु आनलाईन निविदा की कार्यवाही प्रगति पर है। **पक्रिइकाई–जबलपुर के अंतर्गत** रीवा से लखनादौन तक के रा.रा. –7 का चारलेन चौड़ीकरण कार्य किया जा रहा है जो कि प्रगति पर है एवं उक्त कार्य मेसर्स एल एंड टी लिमि., मुंबई द्वारा ईपीसी पद्धति पर संपादित किया जा रहा है, इस हेतु दिनांक 04.06. 2015, 15.06.2015 एवं 17.06.2015 में नियुक्ति दिनांक घोषित किया गया है, इसलिये भारत शासन के स्तर पर कोई उदासीनता नहीं बरती गई है, इसलिये दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।
(ख)	क्या सिवनी जिले के अन्तर्गत बंजारी माँ घाटी वाली पुलिया व सडक अत्यंत सकरी है और सदैव सडक दुर्घटना होती रहती हैं और घंटो जाम लग जाता है? यदि हां तो विगत 05 वर्षों में उक्त स्थल पर कितनी दुर्घनाएं हुई? वर्षवार जानकारी देवें ?	**पक्रिइकाई–नरसिंहपुर के अंतर्गत** यह सत्य है कि बंजारी माँ घाटी वाली पुलिया में दुर्घटनाएँ होती हैं। विभाग द्वारा दुर्घटनाओं को रोकनेके लिए उक्त पुलिया के पास मेटल बीम केश बेरियर, साईनबोर्ड, गैवियन स्ट्रक्चर का निर्माण कराया गया है, जिससे कि दुर्घटनाओं में कमी लायी जा सके। ज़ाम की स्थिति में केन इत्यादि द्वारा राहत कार्य विभाग द्वारा कराया जाता है । उपरोक्त 2 लेन मार्ग में दुर्घटनाओं का ब्यौरा पक्रिइकाई–नरसिंहपुर कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, संबंधित पुलिस थाने से जानकारी मांगी गई है।
(ग)	प्रश्नांश (क) अपूर्ण फोरलेन निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा लिया जावेगा?	**पक्रिइकाई–नरसिंहपुर के अंतर्गत** 9.24 कि.मी. मार्ग का निर्माण कार्य आदेश देने के उपरांत 12 माह की समयावधि में, एवं 28.745 कि.मी. मार्ग का निर्माण वनविभाग द्वारा भूमि हस्तांतरित करने के पश्चात लगभग 2 वर्ष में पूर्ण किया जा सकेगा। **पक्रिइकाई–जबलपुर के अंतर्गत** संपादित कराये जा रहे कार्य जिसमें कि सिवनी जिले का भाग भी शामिल है को अनुबंधानुसार दिसंबर 2017 में पूर्ण कराया जाना है।
(घ)	प्रश्नांश (ख) स्थल पर हो रही लगातार दुर्घटनाओं को रोकने के लिये शासन व विभाग द्वारा कब–कब, क्या–क्या प्रसास किये गये हैं ?	**पक्रिइकाई–नरसिंहपुर के अंतर्गत** उक्त स्थल पर दुर्घनाओं को रोकने के लिए मेटल बीम, केश बेरियर, साईनबोर्ड, गैबियन स्ट्रक्चर का निर्माण कराया गया है।

15/07/16

(विशाल गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी